



प्रायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 70 / 2020

तारीखरजू:- 7-8-2020

उनवान:- मलके राम बनाम उम्मेद वगै०

दावा वावत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा घारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
7.8.2020	<p>वादी की ओर से श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट ने दावा वावत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा घारा 53, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 04.09.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
25.8.20	<p>वादी एवं वादी वकील ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादी अब इन्फे मुकदमे को छोड़ना चाहते हैं। मुकदमे को वापिस लेना चाहते हैं। इसलिए पत्रावली आगामी सुनवाई तिथि तलब कर मुकदमा खारिज करने के आदेश पर मोर्बा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली तलब की गयी। वादी एवं वादी वकील इस मुकदमे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। डाल: यह दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फेरल अपार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तार हो।</p> <p style="text-align: center;"> (दुर्गा प्रसाद मीना) उपस्थित अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली</p>

3485-90
4.8.2020

मलके राम
25.8.20
25/8/20

